



आवादा कुत्तों पर बयान से व्यायपालिका की नाय़ज़गी मेनका गांधी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। आवारा कुत्तों के मुहे पर दिए गए बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने सफाई शब्दों में कहा कि बिना सोचे-समझे और भावनात्मक आवेश में दिए गए बयान न्यायालय की अवमानना के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि अदालत ने इस मामले में औपचारिक रूप से अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार करते हुए, “दया” दिखाने की बात कही, लेकिन सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को अपने शब्दों और व्यवहार देनों को लेकर अतिरिक्त सतरक्ता बरतनी चाहिए। मामला उस समय तूल पकड़ गया जब मेनका गांधी के हालिया पॉडकास्ट में दिए गए

अदालत का मानना था कि इन टिप्पणियों में न सिर्फ न्यायालय के आदेशों की आलोचना की गई, बल्कि भाषा और प्रस्तुति का तरीका भी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि एक पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री से इस तरह की गैर-जिम्मेदार टिप्पणियों की उम्मीद नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी से जुड़े संदर्भ में यह भी याद दिलाया कि वह केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक सत्ता और प्रशासन का हिस्सा रही है। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि जब वह केंद्र सरकार में मंत्री थीं और उनके पास महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और समाज सेवा के मंत्री थीं, तो वे क्या करती हैं?





बातों का आकलन किया है। अदालत ने कहा कि गंधी ने लगभग हर किसी के खिलाफ टिप्पणियां की हैं और उनकी बँडी लैंचेज तक पर सवाल उठाए जाने लायक विश्विति पैदा हो गई है। पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत की आलोचना करते समय एक मर्यादा और संतुलन जरूरी होता है, जिसे इस मामले में नजरअंदाज किया गया।

सुनवाई के दौरान माहौल तब और गंभीर हो गया जब जिस्सिस विक्रम नाथ ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अजमल कसाब जैसे आरोपी ने भी अदालत की अवमानना नहीं की थी, लेकिन यहां मामला न्यायालय की गिरिमा से जुड़ा हुआ है। इस तुलना के जरिए पीठ ने यह संकेत दिया कि अवमानना का प्रश्न केवल अपराध या व्यक्ति के कद से नहीं, बल्कि व्यवहार और शब्दों की गंभीरता से है।

प्रष्ट किया कि वह इस मामले में औपचारिक नवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं कर रही थी, लेकिन यह छूट किसी स्थायी अधिकार की प्राप्त हो रही नहीं देखी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की वर्तन्त्रता का महत्व है, लेकिन यह स्वतंत्रता के संरक्षण नहीं हो सकती। खासकर जब कोई अधिकार सार्वजनिक जीवन में हो, राजनीतिक अप्रभूमि रखता हो और वर्षों तक सरकार का उपरेक्षा रहा हो, तब उसके बयानों का असर नहीं अधिक व्यापक होता है। अदालत का नामना था कि इस तरह के बयान समाज में आम, टकराव और अविश्वास पैदा का सकते हैं, खासकर ऐसे संवेदनशील मुद्रे पर जहां अक्क और मानव सुरक्षा और दूसरी ओर पशु-अधिकारों का प्रश्न जुड़ा हुआ है। आवारा नहीं करने का मुद्दा देश के कई हिस्सों में लंबे समय तक चला रहा है, जिसके फलस्वरूप अनेक अविश्वासी अधिकारों का प्रश्न जुड़ा हुआ है। आवारा

कोर्ट ने समय-समय पर इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि पशु कल्याण और नागरिकों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जा सके। अदालत ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि कानून के तहत ही समाधान निकाला जाना चाहिए और किसी भी तरह की हिंसा या मनवानी स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा इन आदेशों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की जाती है, तो उसका असर केवल बहस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जमीनी स्तर पर भी गलत संदेश जा सकता है। पीठ ने यह भी संकेत दिया कि अगर भविष्य में इस तरह की टिप्पणियां दोहराई गईं, तो अदालत सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेरी। भले ही इस बार “दया” दिखाते हुए कार्यवाही से बचा गया हो, लेकिन यह चेतावनी स्पष्ट है कि न्यायालय की गरिमा नहीं है, विनाशी ही है।

ਭਾ਷ਟਾਘਾਰ ਪਰ ਸਥਤ ਸੰਦੇਸ਼: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਾ, ਰਾਜਿਆਲ ਪੁਲਿਸ ਮੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ



A photograph of a large, green, leafy tree standing next to a white building with a red roof under a clear blue sky.

बांग्लादेश के छात्र आंदोलन की छाया में न्याय की प्रतीक्षा हत्या मामलों पर आईसीटी-बीडी का फैसला फिर टला



A large crowd of people gathered outdoors, likely during a protest or rally, with many wearing white shirts.

(जीएनएस)। ढाका। बांग्लादेश में वर्ष 2024 के व्यापक छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं से जुड़े बहुचर्चित और संवेदनशील मामले में न्याय की घड़ी एक बार फिर टल गई। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश (आईसीटी-बीडी) ने मंगलवार को यह स्पष्ट किया कि वह अभी निर्णय सुनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अब इस मामले का फैसला 26 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत के इस ऐलान के बाद न सिर्फ पीड़ित परिवारों की उम्मीदें एक बार फिर अधर में लटक गईं, बल्कि पूरे देश में यह बहस भी तेज हो गई कि क्या बांग्लादेश अपने हालिया राजनीतिक और सामाजिक संकटों से उबरते हुए समय पर न्याय सुनिश्चित कर पा रहा है। आईसीटी-बीडी के न्यायमूर्ति गोलाम मोर्तुजा मोजुमदार ने अदालत में फैसले के स्थगन की जानकारी देते हुए कहा कि न्यायाधिकरण को खेद है कि निर्णय अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता, साखों की व्यापकता और आरोपों की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायाधिकरण किसी भी प्रकार की

लंबे समय तक बने रहे। इसी दौरान कई स्थानों पर हुई गोलीबारी और हिंसक घटनाओं में आम नागरिकों और छात्रों की जान चली गई, जिसने सरकार और सुरक्षा बलों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

आईसीटी-बीडी में चल रहे इस मामले में आठ पुलिस अधिकारियों पर मानवता के खिलाफ अपराध के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि छात्र आंदोलन के दौरान की गई पुलिस कार्रवाई में छह लोगों की हत्या हुई, जिनकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर इन अधिकारियों पर आती है। आरोपियों में ढाका के तत्कालीन पुलिस आयुक्त हबीबुर रहमान, पूर्व संयुक्त आयुक्त सुदीप कुमार चक्रवर्ती और छह अन्य विरचित एवं मैदानी स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल हैं। अधियोजन पक्ष का दाव है कि इन अधिकारियों ने न सिर्फ अत्यधिक बल प्रयोग की अनुमति दी, बल्कि कुछ मामलों में हिंसक कार्रवाई का प्रत्यक्ष आदेश भी दिया। इस मुकदमे का महत्व केवल कानूनी

नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ऐतिहासिक रूप से सत्ता परिवर्तन और नीतिगत बदलावों का बड़ा कारण रहे हैं। ऐसे में 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं पर न्याय का फैसला आने वाले समय में देश की लोकतांत्रिक साख और मानवाधिकार स्थिति को प्रभावित कर सकता है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यदि इस मामले में निष्पक्ष और समयबद्ध फैसला नहीं होता, तो यह संदेश जाएगा कि राज्य के सुरक्षा तंत्र के भीतर जवाबदेही की कमी बनी हुई है। पीड़ित परिवारों के लिए, यह मामला केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों, भाइयों या परिजनों को आंदोलन के दौरान खोया, वे पिछले एक साल से अदालतों के चक्रकर लगा रहे हैं। उनके अनुसार, हर स्थगन उनके घावों को फिर से हरा कर देता है। कई परिजनों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन बार-बार तारीख टलने से उनका धैर्य टृप्त जा रहा है।

नदी महोत्सव की खुशियां मातम में बदलीं,
हीलियम सिलेंडर विएफोट से एक की मौत,
कई प्रसिद्धाएँ लैं प्राप्ति सज्जाता

(जीएनएस)। कल्लाकुरिची। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में आयोजित थेनपेन्नई नदी महोत्सव के दौरान खुशियों और रंग-बिरंगे उत्साह के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। मनतुरुपेड्हुई क्षेत्र में गुब्बरों में इस्तेमाल होने वाली हाईलियम गैस से भरा एक सिलेंडर अचानक फट गया। इस भीषण विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कम से कम 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद महोत्सव का माहौल चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गया, वहीं प्रशासन और राहत दलों को तुरंत मौके पर पहुंचना पड़ा। जिला प्रशासन के अनुसार, विस्फोट एक छोटी सी दुकान के अंदर हुआ, जहां हाईलियम गैस से भरे गुब्बरे बेचे जा रहे थे। यह दुकान महोत्सव स्थल के बेहद करीब थी और आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसे ही सिलेंडर में विस्फोट हुआ, तेज धमाके के साथ आग और धूंध का गुबार उठ गया। आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही कई लोग उसकी चपेट में आ गए। घायल लोग सड़क पर गिर पड़े और कुछ को गंभीर जलन और चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को उठाकर आसपास के अस्पतालों में पहुंचाने की कोशिश की। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि तिरुवन्नामलाई के जिला कलेक्टर द्वारा की थी। थारपगाराज ने की। उन्होंने बताया कि घायलों में से कई की हालत गंभीर है और उनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। इससे पहले शुरुआती जानकारी में पुलिस अधिकारियों ने मौत की खबरों को अफवाह बताया था और कहा था कि विस्फोट स्थल पर तीन लोग बेहोश मिले थे, जिन्हें जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। हालांकि बाद में इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, जिससे हादसे की गंभीरता और भी स्पष्ट हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विस्फोट इतना तेज था कि आसपास की दुकानों के शीशे तक हिल गए। लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। बच्चों और महिलाओं में खासा डर देखा गया। कई परिवार अपने जिलों को खोजते हुए इधर-उधर दौड़ते रुके नजर आए। कुछ ही मिनटों में पूरा उत्सव का स्थल मानो ठहर सा गया। जहां कुछ पहले तक संगीत, हंसी और उत्सव का माहौल था, वहां अचानक सन्नाटा और दर्द छा गया। यह हादसा उस समय हुआ जब तमिल में 'आत्रु तिरुविज्ञा' कहलाने वाला यह पारंपरिक नदी महोत्सव पूरे शबाब पर था। यह उत्सव तमिल महाने 'थाई' के दौसन, खासतौर पर थाई पूसम के आसपास मनाया जाता है और पौंगल फसल उत्सव के समापन का प्रतीक माना जाता है विल्लुपुरम, कुड्डुलोर और कल्लाकुरिची जैसे जिलों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह रहता है। दूर-दराज से लोगों ने इस उत्सव में शामिल होने आते हैं, जिससे भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी खड़े हो गए हैं। हादसे के बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक तौर पर आशंका जारी रही है कि सिलेंडर के रखरखाव या गैस भरने में लापरवाही बरती रही होगी। यह भी जांच की जा रही है कि दुकान संचालक के पास आवश्यक अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। घायलों में से कई को हाथ, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं।



